International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 3 Issue 1 || January 2014 || PP 61-68

बाल श्रम का सामाजिक विश्लेषण

डॉ0 निरंकार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र)
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल

डॉ0 दिलदार हुसैन
असि0 प्रोफेसर (राजनीतिशास्त्र)
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल

नन्हे–मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी – ये पंक्तियां हमारे देश में उन लाखों–करोड़ों बच्चो के लिये तो कदापि सही नही है जिनकी तकदीरें पैदा होने से पहले या बाद में चंद रुपयों की खातिर दूसरों के हाथो गिरवी रख दी जाती है और उनकी तकदीर में रह जाती है तो बस जिन्दगी भर की गुलामी..... । बेशक गरीबी की विवशताए ही माँ–बाप को अपने ही बच्चों को श्रम करने के लिये मजबूर कर देती है और जिन नन्हे–नन्हे कोमल हाथों से देश की तकदीर लिखी जानी चाहिये, वही हाथ अपने और अपने परिवार की पेट की अग्नि को शान्त करने के लिये कही बीड़ी बनाने और कूड़ा बीनने में जुटे है तो कही 1400 डिग्री तक के तापमान में जलने को मजबूर है।[01]

वस्तुतः सम्पूर्ण मानव समुदाय के लिये कलंक और प्रत्येक राष्ट्र के लिये सामाजिक–आर्थिक बुराई के रूप में बोझ बन चुकी 'बाल–श्रम प्रथा' बाल श्रमिकों को अभिशप्त जीवन जीने के लिये मजबूर कर रही है, बेशक अन्य समस्याओं की भांति इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का भी प्रभावी निदान अति आवश्यक है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष द्वारा 11 जून 2005 को जारी नवीनतम प्रतिवेदन के मुताबिक आज विश्व भर के 24.6 करोड़ बच्चे किसी न किसी प्रकार श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे है। इनमें से 15.2 करोड़ बाल श्रमिक एशिया में, 7.6 करोड़ बाल श्रमिक अफ्रीका तथा शेष 1.8 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक के रूप में लैटिन अमरीकी देशों में कार्य कर रहे है।[02] हमारे देश मे ही 4 करोड़ बच्चे सरकारी तौर पर बाल श्रमिक के रूप में पाये जाते है जबकि गैर सरकारी संगठन इनकी संख्या 6 से 10 करोड़ बताते है।22 हैरत अग्रेज तथ्य तो यह है कि 96 प्रतिशत बाल श्रमिक तो उन राष्ट्रो में विनियोजित है जो 'बाल अधिकार संरक्षण' के लिये कानून बाध्य है।[03] विभिन्न देशो में कुल बाल श्रमिकों का प्रतिशत इस प्रकार है –

तालिका सं0 1.1
बाल श्रमिको का प्रतिशत

देश	कुल श्रम शक्ति में बाल श्रमिको की प्रतिशतता
भारत	5.2
तुर्की	27.3
थाईलैंड	20.7
बंग्लादेश	19.5
ब्राजील	18.8
पाकिस्तान	16.6
इंडोनेशिया	12.4
मैक्सिको	11.5
मिस्र	8.2
अर्जेंटीना	6.6
श्रीलंका	4.4

अतः यह कहा जा सकता है कि आज बाल श्रम समस्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है जो एक ओर भारत जैसे जनाधिक्य वाले निर्धन और विकासशील राष्ट्रों में पीडाजनक दौर से गुजर रही है, वही दूसरी और विकसित राष्ट्रो में यह समस्या एक मानवीय अपराध तथा सामाजिक अभिशाप के रूप में अनेक बुराईयो को जन्म दे रही है। बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए बच्चे के अधिकार का उल्लघंन बहुत बेरहमी से होता है।[04] उसके विकास, शिक्षा, चरित्र निर्माण आदि की बाते तो कल्पना ही लगती है। उसका पग–पग पर हर प्रकार काक शोषण होता है। उसके अधिकारों की विवेचना करने से पूर्व हमें श्रम, बाल श्रमिक जैसे अवधारणाओं का अर्थ समझ लेना चाहिये ।

मुख्य शब्द :– बालक, श्रम, बाल श्रमिक

शोध उदेशयः– प्रत्येक समाज में बाल श्रम किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। बाल श्रमिक विषम परिस्थितियों में कारखानों में कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन, चिकित्सा, भोजन, आदि मूलभूत सुविधाओं से वंछित होना पड़ता है।

यह उनके साथ इसलिए होता है कि वे एक निर्धन परिवार में जन्में हैं।उन्हें श्रम करके अपना तथा परिवार पोषण करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध पत्र बाल श्रमिकों के बनने तथा दुष्प्रभावों का विवणात्मक आलेख प्रस्तुत करता है।

श्रम का अर्थ -

बोलचाल की भाषा में श्रम का अभिप्रायः उस चेष्टा या परिश्रम से होता है जा कि किसी कार्य को करने हेतु किया जाता है। यह चेष्टा मनुष्य करे या पशु सदैव श्रम कहलाती है। प्रो0 एम0 ई0 थॉमस के शब्दो में – "श्रम मनुष्य का वह शारीरिक व मानसिक प्रयत्न है जो प्रतिफल की आशा से किया जाता है।" यह परिभाषा श्रम के परिणाम एवं प्रकार पर जोर देती है। प्रो0 मार्शल के अनुसार – 'श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यो से है चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक । प्रो0 पीगू के मतानुसार – "वह परिश्रम या सेवा जिसे द्रव्य द्वारा मापा जा सकता है, श्रम कहलाता है।

उपरोक्त विद्वानों के कथनों से स्पष्ट होता है कि श्रम से तत्पर्य मनुष्य की उस प्रत्येक क्रिया से है जो परिणाम की दृष्टि से मानसिक या शारीरिक रूप से किया जाता है। श्रम समस्त का स्रोत है और प्रकृति के बाद यही उत्पादन के लिये सामग्री प्रदान करता है तथा उसे सम्पत्ति मे बदलता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि वहॉ के निवासियों के अथक श्रम मे निहित होती है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चाहे कृषि प्रधान हो या उद्योग प्रधान, श्रम के महत्व को कोई भी अस्वीकार नही कर सकता।

श्रम की विशेषताएं -

श्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसी विशेषताएं पायी जाती है जा उत्पत्ति के अन्य साधनों में नही होती है। इन विशेषताओं का श्रम समस्याओं के साथ गहरा सम्बन्ध होता है। श्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है –

(क) **'श्रम' उत्पत्ति का साधन है** – श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय साधन है। अन्य साघन स्वयं कार्य को आरम्भ नही कर सकते, वस्तुतः उनको श्रम द्वारा ही सक्रिय बनाया अथवा काम कर लगाया जाता है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान ने अनेक प्रकार के यंत्रो का आविष्कार किया है। परन्तु उन यन्त्रों को चलाने के लिये 'मानवीय श्रम' की ही आवश्यकता पड़ती है।[05]

(ख) **श्रम व श्रमिक में कोई अन्तर नही है** – उत्पत्ति के अन्य साधन अपने स्वामियों से पृथक अस्तित्व रखते है, परन्तु "श्रम" का श्रमिक से पृथक कोई सम्बन्ध नही होता है। पूँजी को पूँजीपूति से अलग किया जा सकता है लेकिन श्रम को श्रमिक से अलग नही किया जा सकता।[06]

(ग) **श्रम नाशवान है** – विश्व में प्रायः प्रत्येक चीज का संचय किया जा सकता है किन्तु श्रम का संचय नही किया जा सकता है। श्रम नाशवान है इसीलिये श्रमिक सदैव अपने श्रम को बेचने का प्रयत्न करते है तथा उसके लिये अच्छी मजदूरी मिलने तक प्रतीक्षा करना संभव नही होता है श्रमिक की इस विशेषता कर अनुचित लाभ उठाते हुए सेवायोजक उसे न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयत्न करते है। इस प्रकार श्रमिक को अपनी सेवा का उचित पुरस्कार नही मिलता जिसका उसके जीवन स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।[07]

(घ) **श्रमिको की सौदा शक्ति दुर्बल होती है** – श्रमिको की सौदा करने की शक्ति दुर्बल होती है। इसके अनेक कारण है जैसे अज्ञानता, आशिक्षा, अनुभवहीनता, दरिद्रता तथा श्रम संगठनों की शिथिलता आदि। श्रमिक की बेकारी भी उसकी सौदा शक्ति को कमजोर करती है।[08]

(ड) **श्रम की पूर्ति बेलोचदार होती है** – श्रम की पूर्ति ने परिवर्तन करने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है क्योंकि श्रम की पूर्ति दो तरीको से परिवर्तित की जा सकती है– 1. जनसंखया में परिवर्तन 2. श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि अथवा कमी के द्वारा परन्तु इन दोनों ही विधियो से श्रम की यात्रा में परिवर्तन धीरे–धीरे ही होता है।

(च) **श्रमिक अपना श्रम बेचत है किन्तु स्वयं गुणों का स्वामी बना रहता है** – श्रम का क्रेता श्रमिक को नही खरीदता है। श्रमिक स्वयं अपनी कार्य कुशलता का स्वामी बना रहता है। इसलिये सेवायोजक अपने श्रमिकों की शिक्षा–दीक्षा की ओर कम ध्यान देते है, क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि अधिक निपुण हो जाने पर श्रमिक अधिक मजदूरी मांगेगा अथवा काम छोड़कर चला जायेगा।

(छ) **श्रम में पूंजी का विनोयोग किया जाता है** – जिस प्रकार उद्योग आय प्राप्त पूंजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है या अधिक आय प्राप्त की जा सकती है उसी प्रकार कुशल शिक्षित और योग्य श्रमिकों के द्वारा अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसलिये श्रम को मानवीय पूंजी भी कहा जाता है।[09] वस्तुओं, मशीनों, भवनों इत्यादि में लगायी गयी पूंजी इन वस्तुओं को बेचकर एक सीमा तक निकाली जा सकती है। जबकि श्रमिको में विनियोग की हुई मुद्रा या पूँजी इस तरह निकालना संभव नही है।

(ज) **श्रम का प्रतिफल श्रमपूर्ति को साधारण ढंग से प्रभावित नही करता** – साधारणतया देखा गया है कि वस्तुओं की कीमतें बढने पर उनकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती हैं, लेकिन श्रम के विषय में सदैव ऐसा नही होता है। एक सीमा के बाद यदि श्रमिकों के वेतन को बढ़ाया जाए तो वे अधिक आराम करना पसंद करेंगे और कम घंटे कार्य करेंगे? दूसरी ओर यदि श्रमिकों का वेतन एक सीम से अधिक क्रय कर लिया जाए तो अपना और अपने परिवार का लालन पालन ठीक से नही कर पायेगें तथा पर्याप्त आय कमाने की लालसा में अधिक घंटे कार्य करेगें श्रमिको की पूर्ति उनके वेतन में कमी के फलस्वरूप बढ़ जाती है।

(झ) **श्रम एक साधन भी है और साध्य भी** – श्रम उत्पादन में सहयोग देता है इस दृष्टि से वह एक साधन में काम आता है। इस दृष्टि से वह साध्य भी।

(क) श्रमिक मुनष्य ही होते है उनमें भी स्वाभाविक बुद्धि तर्क व निर्णय शक्ति होती है। अतः कार्य करते हुए वे इन शक्तियों का प्रयोग करते है। जिन कार्यो में बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता नही होती उन्हें विशुद्ध यांत्रिक कार्य कहते है। बुद्धि तथा निर्णय शक्ति का प्रयोग श्रम की अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषता है।

श्रम की विशेषताओं पर विचार करने से श्रम की प्रवृति का पता चलता है। अपनी इन्ही विशेषताओं के कारण ही श्रम एवं उससे विभिन्न प्रकार से समाज सुधारको, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञो, विद्वानों एवं शौधाथियों का ध्यान आकृष्ट किया है। श्रम की विशेषताओं ने ही साम्यवाद को जन्म दिया है।

बाल श्रमिक पर पारिभाषिक दृष्टि निक्षेप

बल श्रमिक की अवधारणा और आयु के संदर्भ में आज भी एक सर्वमान्य परिभाषा का अभाव बना हुआ है समय–समय पर समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियां, सरकारी एजेन्सियों, गैर–सरकरी संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा बाल श्रम के सम्बन्ध में अलग–अलग मत पुस्तुत किये जाते रहे है –

संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष **होमर फाक्स** [10] ने बाल श्रम को परिभाषित करते हुए कहा है "बच्चों द्वारा किये जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है" इस परिभाषा के अनुसार बाल श्रम के कारण बच्चें के सर्वागीण विकास में बुरा प्रभाव पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रमिक का सम्बन्ध उन बच्चों से नही है जो पारिवारिक जमीन पर खेती मे मद्द करते है या घरेलू कार्यो में हाथ बॅटाते है बल्कि बाल श्रमिकों में वे बच्चे सम्मिलित है जो स्थायी रूप से वयस्क के रूप में जीवनयापन कर रहे है, वैसी स्थिति में कार्यरत है जो उनके स्वास्थ्य तथा शारीरिक व मानसिक विकास में हानि पहुँचा रही है, कम मजदूरी पर लम्बे घण्टों के लिये कार्यरत है, लगातार बुनियादी शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर से वंचित रहते है तथा कभी–कभी अपने परिवारों पृथक रहकर श्रम गतिविधियो में संलग्न रहते है।

समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से वे बच्चे बाल श्रमिक माने जाते है जो अपने निर्धन परिवार की आय बढ़ाने हेतु परिस्थितिवश खेतो, दुकानो, कारखानों और घरेलू कार्यो में संलग्न है तथा परिवार में एक आय उपार्जक सदस्य के रूप में रह रहे है।

बुद्धिजीवियों और शोधकताओं के दृष्टिकोण से बच्चों के संदर्भ में श्रम तब एक बुराई का रूप धारण कर लेता है जब नियोक्ताओं द्वारा बच्चों से उनकी शारीरिक क्षमता के विपरित काम लिया जाता है तथा उनके काम के घण्टे निश्चित न हो और उनकी शिक्षा मनोंरजन व आराम का ख्याल नही रखा जाता हो तथा जब उन्हें ऐसे काम पर लगाया जाता हो जो उनके शरीर व स्वास्थ्य के लिये खतरनरक व हानिकारक सिद्ध होता हो।

संयुक्त राष्ट्र संघ [11] के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक को बाल श्रमिक माना गया है जबकि आई0 एल0 ओ0 के द्वारा 15 वर्ष या उससे कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है।

संवैधानिक विभिन्नताओं के आधार पर बाल श्रमिक –

1. अमरीकन संविधान के अनुसार 12 वर्ष या कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक माना जाता है जबकि
2. ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 13 वर्ष या कम आयु के श्रमिक को बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है।
3. भारतीय संविधान के मुताबिक वे बच्चे जो 14 वर्ष या उससे कम आयु में ही रोजगार में संलग्न है या श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते है तथा अपने विकास के लिये उपलब्ध सुविधाओं से वंचित है बाल श्रमिक कहलाते है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने या खननकार्य या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नही किया जा सकता इसी संदर्भ में बाल श्रम अधिनियम–1986 की अनुसूची के अन्तर्गत हमारे देश में 13 व्यवसायों और 57 खतरनाक प्रक्रियाओं में बच्चो के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उपरोक्त परिभाषों के आधार पर हम कह सकते है कि किसी भी समाज द्वारा निर्धारित आय का व्यक्ति जो बालक के अन्तर्गत आता है यदि वह अपनी जीविका, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिये कार्य करता है तो बाल श्रमिक कहलाता है। बाल श्रमिक का संबध उन बच्चों से नही है जो परिवारिक जमीन पर खेती मे मद्द करते है या घरेलू कार्य करते है। बल्कि बाल श्रमिक में वे बच्चे शामिल है जो–

1. स्थायी रूप से व्यस्क के अनुरूप जिन्दगी गुजर–बसर कर रहे है,
2. वैसी स्थिति में कार्यरत है जो उनके स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक विकास में हानि पहॅुचा रही है,
3. कम मजदूरी पर लंबे घंटे के लिये कार्यरत है,
4. लगातार बुनियादी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर से वंचित रहते है जो शायद केवल उसके लिये एक बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता था, तथा
5. कभी–कभी अपने परिवारों से अलग होकर रहते है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कनवेशन 1999 के अनुच्छेद–2 में "अति खराब दशा के बाल–श्रमिकों में निम्न बच्चों को सम्मिलित किया है–

1. बच्चों का क्रय–विक्रय, व्यापार बंधुआ बच्चे, बलात–श्रम एवं सैन्य संघर्ष के अनिवार्य रूप से भर्ती किये गये बच्चे,
2. वेश्यावृत्ति एवं अश्लील कार्य में लगे बच्चे,
3. गैर कानूनी कार्य विशेष रूप से ड्रग उत्पादन व व्यापार मे लगे बच्चे तथा

4. वैसा कार्य परिवेश जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को नुकसान पहुँचता हो।

बाल श्रमिक

आर्थिक गतिविधियों मे बच्चों की संलिप्तता विश्व संदर्भ में कोई नई बात नही है। प्राचीन समय में जब मनुष्य खानाबदोशी या शिकारी जीवन व्यतीत करता था तब ये बच्चे अपने से बड़ो की सहायता करते थे। संयुक्त परिवार उस समय मुख्य सामाजिक संस्था थी तथा बच्चों को पूर्ण सुरक्षा दी जाती थी तथा दयाभाव का व्यवहार किया जाता था। संयुक्त परिवार के विखरने से बच्चों पर भी कार्य का बोझ आ गया और प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिये कार्य करना आवश्यक हो गया।

भारत में गुलाम बच्चे भी गुलामी के जीवन यापन के लिये बाध्य रहते थे। यह बाध्यता तब तक बनी रहती थी जब तक उनके मालिक उन्हें गुलामी से मुक्त कर दें। समाज के अनाथ एवं पिछड़े वर्गो के लोगों को गुलाम के रूप में उपयोग करना एक प्रचलन था किन्तु 'आर्य बालको' का उपयोग प्रतिबन्धित था।[12] कार्ल मार्क्स ने इस प्रथा की पुरजौर भर्त्सना की। मानव संसाधन प्रबन्ध के पितामह राबर्ट ओवेन तथा वैज्ञानिक क्रांति के जनक एफ0डब्लू0टेंलर ने बाल श्रमिक के रूप में अपना जीवन आरम्भ किया था। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बाल श्रम छूत की बीमारी की तरह से कम विकसित देशों में भी फैल गया तथा कुछ समाज ऐसा सोचने लगे कि "परिवार बच्चों की उन्नति के लिये नही है बल्कि परिवार के सहारे के लिये है"।

बाल श्रम के कारण –

जब तक आर्थिक कारणों से बाध्य नही हो जाये तब तक कोई भी माता–पिता सामान्यतः अपने बालकों को उद्योगों, कृषि क्षेत्र खान, चाय–बागानों, ढाबों या घरेलू नौकरों के रूप में काम पर नहीं भेजना चाहतें। परिस्थितियॉ उन्हें ऐसा करने के लिये बाध्य कर देती है। यहॉ देश मे 36 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे परिवारों के बच्चे यदि नही कमाये तो परिवार के लिये दो जन की रोटी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाये। यदि उन्हें कार्य पर नही लगाया जाये तो अनराध करने लगेंगे। समाज वैज्ञानिकों के अनुसार बाल श्रम के प्रमुख कारण निम्नलिखित है –

(क) **गरीबी –** बाल श्रम का मुख्य कारण विश्वव्यापी गरीबी है। भारत एक विकासशील देश है। इसमें गरीबी की शक्तियाँ माता–पिता को अपने बच्चों को रोजगार की तलाश में भेजने के लिये बाध्य करती है। निर्धनता उसे कहते है जिस समय अपनी मूलभूत आवश्यताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तथा समाज में रहते हुए वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर पाता है। वैसे हमारा देश विश्व में अन्य देशों के मुकाबले बहुत निर्धन है। एक ऑकडे के अनुसार भारत वर्तमान में आर्थिक स्थिति तथा प्रतिव्यक्ति आय में 122वें स्थान पर है। सन् 2004–05 के अनुसार भारत की प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवर्ष 23222 रुपये है। भारत मे अधिकतम आय तथा पूँजी बहुत ही कम लोगों पर है। एक अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बच्चों का प्रक्षेपण द्वारा जनसंख्या वृद्धि को देखने से ज्ञात होता है कि सन् 2001 तक गरीबी रेखा से नीचे 0–14 वर्ष के बच्चों की संख्या लगभग 195884000 थी। इसी से ज्ञात होता है कि यह कितनी भयानक स्थिति है जो हमारे देश को गर्व में ले जा सकती है।

इन्ही कारणों से हमारे नौनिहाल अपने स्वर्णिम समय को मिट्टी के मोल बेच देते है तथा अपने जीवन को चिर–अंधकार में विवरण के लिये छोड़ देते है साथ ही साथ समाज उन्हें उपहार स्वरूप देता है शोषण, कुपोषण, बीमारी तथा उपहास राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 2004–05 में एक सर्वेक्षण किया जिसमें यह बताया गया था कि समस्त जनसंख्या का 27.5 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे।

(ख) **माता–पिता का अभिभावक की अपर्याप्त आय –** बाल श्रमिक की समस्या का वयस्क श्रमित को मिलने वाली वर्तमान आय से घनिष्ट सम्बन्ध है। यह अपर्याप्तता बच्चों के माता–पिता को बाध्य करती है कि वे भी अपने बच्चों को कार्य पर भेंजे ताकि उसके बदले में कुछ प्राप्त किया जा सके और नियोक्ता अनेक प्रतिबन्धित अधिनियमों के बावजूद बच्चों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनको कम वेतन देते है।[13] राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में ऐसा देखा गया कि माता–पिता अपने बच्चों को कार्य करने के लिये बाध्य करते है क्योंकि उनकी स्वयं की आमदनी कम है। यदि उनकी आमदनी बढ़ा दी जाये तो शायद वे बच्चों को काम पर भेजना बन्द कर दें।

(ग) **बेरोजगारी** – लुम्बिकन और डगलस ने सही ही कहा है कि 2/5 बच्चे अपने परिवार के वयस्क सदस्यों की बेरोजगारी के कारण कार्य करते है। इनमें से दो तिहाई बच्चों के वयस्क कार्य करने वाले या तो बेकार होते है या अंशकालिक कार्य करते है तथा एक तिहाई बच्चों के काम करने का कारण उनके वयस्क सदस्यों के वेतन में भारी कटौती की गयी होती है। इसी सम्बन्ध में पदमिनी सेन गुप्ता कहती है "कृषि व्यवसाय में मजदूर औसतन 189 दिन कार्य कर सकता है गांव मे और भी कार्य करने को होते है परन्तु उनमें भी वर्ष में सौ दिन से ज्यादा दिन बेराजगार रहना पड़ता है।[14]

(घ) **परिवारिक भत्ता योजना की कमी** – भारत में बाल श्रम का एक अन्य कारण पारिवारिक भत्ता योजना की कमी है जो कि इतना ही खतरनाक है जितनी कि गरीबी। इस प्रकार का कोई भी भत्ता परिवारों को नही दिया जाता है ताकि लोग अपना पर्याप्त स्तर रख सके तथा अपन बच्चों को श्रम बाजार में भेजने के लिये बाध्य न करें। स्पष्ट है कि बाल श्रम का प्रमुख कारण आर्थिक जरूरत है। जब कोई परिवार भूखे रहने की स्थिति से ऊपर उठना चाहता है तभी वह अपने बच्चों को मजदूरी पर काम करने के लिये घर से बाहर भेजता है।

(ङ) **बड़ा परिवार** – बड़ा परिवार तुलनात्मक रूप से कम आमदनी मे खुश नही रह सकता है। गरीबी से पीड़ित व अशिक्षित माता–पिता यह सोचते है कि भगवान ने यदि तुम्हें जीवन दिया है तो वह खाने को अवश्य ही देगा। धीरे–धीरे वे यह भी सोचते है कि तीन और चार बच्चे एक बच्चे से अच्छे है उनके लिये ज्यादा बच्चे ज्यादा आमदनी का स्रोत होते है।[15]

(च) **सस्ती वस्तु** –अधिकतर नियोक्ता बच्चों से अधिक से अधिक काम करवाने की सोचते है और बाल श्रमिक प्रौढ श्रमिक के मुकाबले सस्ते होते है। वास्तव में तो नियोक्ता कम खर्च करके अधिक अर्जित करते है। हमारे देश में बच्चे बहुत ही छोटी उम्र में घरों में कार्य करने लग जाते है। क्योंकि वे बहंत ही सस्ते होते है। मध्यम वर्ग के लोग 8 से 14 वर्ष के लड़के व लड़कियों के घर में नौकर के रू‍प में रख लेते है जबकि उनकी यह उम्र खेलने व खाने की होती है।

(छ) **अनिवार्य शिक्षा की कमी** – एक निश्चित उम्र के बच्चों के लिये शिक्षा को अनिवार्य करने में आने वाली बाधाओं का नीचे दिये गये शब्दों में बहुत सही ढ़ग से वर्णन किया गया है। "यदि शिक्षा निःशुल्क भी हो तो एक कारीगर अपने संरक्षित बच्चें को शिक्षा नही दे सकता। उसके लिये एक अशिक्षित बच्चा तो एक सम्पत्ति है। उसको शिक्षित करने की इच्छा उसके ऊपर दुगनी ज़िम्मेदारी लाती है। (अ) यदि बच्चे कार्य नही करता है तो आय की कमी होती है। (ब) बच्चे की शिक्षा पर होने वाला खर्च चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो कुछ न कुछ होता अवश्य ही है। अधिकतर बच्चों को स्कूल जाने वाली सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से वे प्रारम्भिक अवस्था में ही किसी कार्य की तलाश में लग जाते है। परन्तु श्रम के ऊपर राष्ट्रीय कमीशन की रिर्पाट में एक स्थान पर कहा गया है "बाल श्रम सं सम्बन्धित कानूनों को अच्छी तरह से लागू किये जाने व शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार के कारण स्वतन्त्रता के पश्चात् बाल श्रमिकों की संख्या में धीरे–धीरे कमी आई है जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है।

(ज) **माता–पिता की अज्ञानता व अशिक्षा** – भारत में जनसंख्या का निम्न सामाजिक–आर्थिक वर्ग अशिक्षित है। वे केवल वर्तमान के बारे में सोचते है जो कि उनका एकमात्र उद्देश्य व चिन्ता है। वे कभी भी भविष्य के बारे में नही सोचते है। वे अपने बच्चों के शैक्षिक अवसरों के बारे में भी जानबूझ कर अंजान बने रहते है। बालश्रम बच्चों को सभी शैक्षिक अवसरों से वंचित करता है। यह उनके शरीर को भी प्रभावित करता है। वे अपनी रोजी–रोटी चलाने के लिये निम्न आय के श्रमिक बनने पर बाध्य कर दिये जाते है।

अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की गलती की '**जुनेएडम**'[16] ने भी आलोचना करते हुए कहा है "आज के बाल श्रमिक कल के कंगाल होंगे। ये इस प्रकार के लड़के व लड़कियां होंगे जो कि किसी औपचारिक स्कूली शिक्षा या व्यापार के ज्ञान के बिना बड़े हो जायेंगे। धीरे–धीरे उनकी जवानी की शक्ति क्षीण होती जायेगी और वे मानसिक रूप से मन्द भाव रहित व साधन रहित हो जायेंगे।

स्पष्ट है कि अनुचित होते हुए भी बाल श्रम सामाजिक–आर्थिक कारणों से जारी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि व्यस्क श्रमिक की कमाई का नीचा स्तर देश में राज्य द्वारा गयी किसी प्रभावकारी योजना का न होना जो गरीब माता–पिता को अपने बच्चों के लिये सही और संतुलित खुराकक व रहन–सहन की दशाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो, सुरक्षा प्रदान करने वाले श्रम कानूनों का धीमा विकास तथा बहुत से धंधो का इनसे बचे रहना, मौजूदा कानूनों का पालन न करना तथा निरीक्षण व्यवस्था का कमजोर होना आदि बाल श्रम के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारण है।

बाल श्रम समस्या के दुष्परिणाम –

विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी बाल–श्रमिक पहले खेतों के कामों मे लगे रहते थे और अभी भी लगे रहते है, किन्तु औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाए बढने के साथ–साथ विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं व्यवसायों में बाल–श्रमिको को बड़े पैमाने पर नियोजित किया जाने लगा है। बच्चों के औद्योगिक ईकाइयों में नियोजन के साथ शुरू होती है उनके साथ होने वाले विभिन्न प्रकार में अनेक प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के शोषण के स्वरूप और प्रकार हम निम्न तालिका में दर्शा सकते है –

तालिका सं0 1.2
बाल श्रमिकों के शोषण के स्वरूप एवं प्रकार

क्र0 सं0	आधार	शोषण के स्वरूप एवं प्रकार		
1	2	3	4	5
1	पारिश्रमिक	कम मजदूरी पर भुगतान	कोई भुगतान नही	परिवारिक ऋण/अग्रिम का किश्तवार समायोजन (सटोबटो)
2	कार्यवधि	पूर्णकालिक	अंशकालिक	निर्धारित कार्यावधि से काफी अधिक
3	स्वतन्त्रता	पूरी स्वतंत्रता	सीमित स्वतन्त्रता (आधा बैधुआ)	कोई स्वतन्त्रता नही (बैधुआ)
4	उत्पादन कार्य परिसर	घर से अलग मालिक का कार्य–परिसर	मलिक के घर में उत्पादन कार्य करना	मजदूरों द्वारा अपने घर/सम्बन्धियो के घर पर काम करना
5	नियोजन	प्राइवेट मालिक के अधीन	परिवारिक नियोजन	ठेकेदार/एजेन्ट के अधीन

6	सेक्टर (उत्पादन–क्षेत्र)	प्राथमिक (कृषि)	द्वितीयक (मैन्फैक्चरिंग एवं औद्योगिक)	तृतीय (घरेलू, नौकर, होटल, दुकान, गैरेज आदि में सेवाए)
7	संगठनात्मक	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	अंर्धसंगठित क्षेत्र
8	कार्य का जोखिम	गैर–जोखिमपूर्ण	कम जोखिमपूर्ण	अति जोखिमपूर्ण
9	मजदूरी भुगतान पद्धति	टाइम–रेट (मासिक साप्ताहिक)	पीट–रेट (मात्रा/संख्या)	–
10	कार्य के अतिरिक्त	शारीरिक	मानसिक	यौन

उपरोक्त तालिका से स्वष्ट होता है कि मालिको द्वारा बाल–श्रमिकों का विभिन्न प्रकार से शोषण किया जाता है। बाल–श्रमिकों को अलग से कार्य करने की स्वतन्त्रता कम ही रहती है, जो मॉ–बाप मालिकों से ऋण लिए रहते है उसे साधनें के लिये बच्चों को बिना पारिश्रमिक कार्य करना पड़ता है और साथ की उलाहना भी सहनी पड़ती है। इतना ही नही बाल–श्रमिको को विभिन्न कानूनों के तहत निर्धारित कार्यविधित काफी अधिक कार्य करना पड़ता है। बाल श्रम समस्या के निम्न गंभीर परिणाम होते है –

1. **बाल यौन शोषण** – यह अत्यन्त हृदय विदारक किन्तु सत्य है कि आज और बालिका श्रमिकों का यौन शोषण मालिकों, ठेकेदारों, एजेन्टों, सहकर्मियो, अपराधियो आदि द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य यह भी होता है कि बच्चों में इतना डर पैदा कर दिया जाय कि वे शोषण के विरूद्व आवाज तक नही उठा सके। इसके कारण बच्चों का मॉल–एडजस्टमेन्ट हो जाता है। यह सर्वविदित है कि बाल–श्रमिक प्रायः परिवार की आर्थिक कठिनाईयों के कारण काम करने जाते है। ऐसे में उनका सामना यौन शोषण के कारण मानसिक एवं शारीरिक रूप से घोर अत्याचार के शिकार होते है। ऐसे बच्चों का विभिन्न प्रकार से यौन शोषण जैसे गोपनीय अंगो से छेड़–छाड़ अश्लील चित्रण, बलात्कार, वेश्यावृत्ति आदि के रूप में देखा जा सकता है। नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के 1999 के प्रकाशित आंकड़ो को देखने से ज्ञात होता है कि उस वर्ष 10425 मामले बलात्कार प्रकाश में आये जिनमे से 51.7 प्रतिश तमामले 16 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के थें, जिनमें से अधिकतर उनके मालिको, या घर के स्वामी द्वारा किये गये थे।[17]

2. **शारीरक शोषण** – बाल–श्रमिकों का शारीरिक शोषण व्यापक स्तर पर किया जाता है। ऐसे बच्चों को 1400 सेल्सियम के तापमान पर भी कार्य करना पड़ता है। खान कालीन उद्योगों में बच्चों का शरीर कठोर एवं जोखिम वाले कार्यो में उपयोग होने के बाद बहुत कमजोर पड जाता है। हीरा–कटाई में बच्चों की नेत्र ज्योति खराब हो जाती है। भारी–भरकम सामान उठाने के कारण उनकी छातियों अन्दर की ओर धंस जाती है और उनकी छाती का जाल पतला हो जाता है। ऐसा भी कई बार होता है कि जब उनके बदन में दर्द होता है दिमाग परेशान होता है उनके दिल रोते है, आत्मा रोती है उस समय भी बिना थकान के मालिक के आदेशों के अनुसार 15 घंटो तक लगातार कार्य करना पड़ता है।[18] सिर पर बोझा ढोने, ज्वलनशील भट्टियों के पास कार्य करने, कोई चीज खीचनें के लिये अन्तिम दम तक जोर लगाने, गन्दे व बदबूदार कार्य को करने के आदि की बजह से बाल–श्रमिकों की अनुमानित आयु की एक तिहाई हो जाती है। बच्चों को फैफड़ों की बीमारियां अस्थमा, ब्रौन्काइटिस और कमर का दर्द होते है। कुछ आग की दुर्घटनाओं में जख्मी हो जाते है कई बीस वर्ष की आयु में अथवा अपंग हो जाते है तो उन्हें मालिकों द्वारा निर्दयता पूर्वक निकाल दिया जाता है।

3. **आर्थिक शोषण–** हानिकारक और जौखिम वाले कार्य जिनमें बच्चों की जान तक चली जाती है, बच्चों को मिलते है लगभग 500 रुपये तक, वह भी अभिभावकों को। कुछ बच्चों को 15–18 घण्टे कार्य करने के बाद एक–दो समय की झूठा भोजन ही मिलता है। कुछ बच्चों को तो उनके मॉ–बाप बंधुआ मजदूर ही बना देते है। ऐसे बच्चों का बचपन और जवानी अल्प भोजन व उतरन कपड़ो को पहनते हुए गुजर जाती है तथा साथ ही उलाहना मिलता है कि तुम्हारें मॉ–बाप ने अमुक धनराशि बदले में प्राप्त की है। ढाबे, रेस्ट्रॉरेन्ट आदि में काम करने वाले बच्चों अल्प भोजन व बहुत कम धनराशि ही पारिश्रमिक के रूप में ही जाती है।

4. **बच्चे का विकास अवरूद्ध हो जाना –** हमारे देश में बाल–श्रमिक गरीबी तथा अन्य कारणों से त्रस्त होकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते है। आर्थिक उपार्जन में लगे होने के कारण वे अनेक सुविधाओं, शिक्षण मनोरंजन तथा स्वस्थ पोषण आदि से वंचित हो जाते है। जब बालक 6 से 14 वर्ष की आयु में श्रमिक के रूप में कार्य करने के लिये बाध्य होते है तो उसकी उस स्तर अथवा उम्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नही हो पाती और वे जीवन में अपना स्वस्थ्य विकास करने में असमर्थ रहता है। बालक का विकास समुचित ढंग से नही हो पाता जिससे वह अपने लिये बोझ तो बनता है और समाज पर भी बोझ स्वरूप बना रहता है।

5. **शिक्षा का मूल्य समाप्त हो जाना –** हमारे देश में बाल–श्रम को वही अपनाते है जो गरीब माता–पिता के घर जन्त लेते है, वे मुख्यतः कृषि से सम्बन्धिक श्रम, होटल एवं जलपान गृह तथा मरम्मत आदि मे श्रम करते है। इन बाल श्रमिकों का अत्यधिक शोषण होता है और वे परम्परागत रूप से ही जीवन जीने के लिये बाध्य हो जाते है। उनके लिये शिक्षा का महत्व नगण्य हो जाता है, यदि उन्हें समयानुकूल शिक्षा हो जाती तो वे शिक्षा के महत्व को समझकर देश के स्वस्थ्य नागरिक बनकर एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने में सक्षम हो सकते है।[19]

6. **श्रम का अपव्यय –** बाल श्रमिक अपनी क्षमता से अधिक कार्य करते है। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है। अतः भविष्य में देश को उपलब्ध श्रम शक्ति का एक भाग नष्ट हो जाता है।

7. **पुष्ट संतति का ह्रास** – बालवस्था ऐसी अवस्था है जिस पर वह पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वह मानव के सम्पूर्ण जीवन को ठहरने के लिए एक पुष्ट नींव अथवा आधार की स्थापना कर सकें। यह तभी संभव है जब बाल्यावस्था में उसकी समुचित आवश्यकता के अनुसार उसे प्रत्येक वस्तु उपलब्ध हो। बाल–श्रमिक उक्त सुविधाओं से वंचित हो जाते है और खिलने के पूर्व ही मुर्झा जाते है। अगली पीढ़ी भी उसी तरह बाल श्रमिक बनने के लिये वाध्य होती है। जिससे पुष्ट संतति का ह्रास होने लगता है।

8. **आर्थिक समस्या** – यदि बाल श्रमिक अपने माता–पिता के साथ परम्परागत रोजगार में श्रम करता है तब उसकी आयु बहुत कम होती है। यदि बाल–श्रमिक अन्य स्थान पर अथवा नियोक्ता के संरक्षण में श्रम करता है तो यहॉ शोषण इतना अधिक होता है कि हम हम कल्पना ही नहीं कर सकते है। वे कार्य एक प्रौढ़ श्रमिक से भी अधिक करते है और पारिश्रमिक के रूप में केवल भोजन एवं फटे पुराने कपड़े तथा कुछ मुद्रा के रूप में ही प्राप्त करते है। जिससे बाल श्रमिक अपना सामान्य जीवनयापन नही कर सकता। आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय बदतर होती जाती है। इससे वह हर समय कार्य में लगे रहते है विशेषज्ञों ने बाल श्रमिकों की पूरी उम्र कमाई का ऑकलन करके यह परिणाम निकलता है कि "बाल–श्रमिक जितना कमाता है लगभग दस गुना खो देता है"

9. **अपराध भावना की वृद्धि** – बाल–श्रमिक एक अपूर्ण व्यक्तित्व रखता है जिसे समाज ने केवल दिया है – बाल्यवस्था में श्रम करना, घृणा, उपेक्षा, शोषण एवं निर्धनता आदि। जब बाल श्रमिक इन व्यवहारों एवं श्रम करने से ऊब या थक जाता है तब वह विवश होकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अपराधीकृत्य साथ ही सामाजिक संगठन को खोखला एवं कमजोर करने में अपनी अहम् भूमिका निभाता है तथा विकास में बाधक सिद्ध होता है।

10. **सामाजिक समस्यायें** – दुर्भाग्य से हमारे देश में शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है इसलिये बाल श्रमिकों को भी हेय समझा जाता है। सहानुभूति तथा समझने का प्रयास नही किया जाता है। जिससे बाल श्रमिक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते है या कभी–कभी समाज से बगावत करके असामाजिक कार्यो में लीन हो जाते है। समूह में मालिकों साथियों आदि के द्वारा बच्चों को यौन जैसे अनैतिक कार्यो के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों मे अशिक्षा की समस्या उत्पन्न होने लगती है। शिक्षा एवं प्रशिक्षता के अभाव में बच्चा कुशल–श्रमिक व नागरिक नही बन पाता। बच्चा व्यस्कों के मध्य कार्य करने व कुछ धन कमाने के कारण अपने आपको महत्वपूर्ण एवं स्वतन्त्र समझता है इससे उसकी भाषा में उग्रता एवं अभद्रता उत्पन्न हो जाती है। बाल श्रमिक धुमपान, जुआ आदि बुरी आदतें ग्रहण कर लेता है।[20]

11. **मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव** – यह सत्य है कि बच्चा अधिक एकाग्र होकर दैनिक क्रियाकलापों व अपने कार्य को करता है, कच्ची उम्र में ही कार्य करने से उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास अवरूद्व हो जाता है तथा उनका दुष्टिकोण संकूचित होकर अपने व्यवसाय के इई–गिर्द ही हो जाता है। बच्चा अपने चारों और के वातावरण के ज्ञान से वंचित हो जाता है। बच्चें के प्रति नियोक्ताओं के द्वारा किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार से बच्चे में मानसिक तनाव, चिन्ता, हीनभावना उत्पन्न होने लगती है।

12. **जनांकिकीय प्रभाव** – निर्धन परिवारों के बच्चे उनके परिवारों के लिये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते है। चूँकि बच्चे परिवार की आय वृद्धि के स्रोत है द्वितीय वे माता–पिता को वृद्धावस्था मे सामजिक सुरक्षा प्रदान करते है। निर्धन परिवारों के सदस्य बच्चों विशेषकर लड़को का सामाजिक व आर्थिक महत्व निर्धन अत्याधिक महत्व देते है। अतः वे बड़े परिवारों के समर्थक होते है।[21] इससे जनसख्या वृद्धि होती है। बच्चों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है। बच्चो को पर्याप्त भोजन, वस्त्र चिकित्सा सुविधा के अभाव से गुजरना पड़ता है और यह चक्र फिर लौटकर बालश्रम पर ही आकर रूकता है क्योंकि मॉ–बाप मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बच्चों से आर्थिक धन की इच्छा करने लगते है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बाल–श्रम बच्चों के साथ–साथ परिवार समाज सभी को प्रभावित करती है। बाल–श्रमिक के गंभीर दुष्परिणाम निकलते है जो देश के भावी नागरिकों पर पड़ते है। देश का भावी नागरिक ही अनेक रोगों से ग्रस्त हो तो फिर स्वस्थ्य राष्ट्र की कल्पना निरर्थक है। आज भी हमारे देश में 26.71 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः निर्धन वर्ग अपने बच्चों से कार्य कराने में कोई झिझक महसूस नही करता है और बाल–श्रमिकों के अधिकार या उनकी कार्य दशा उच्च होना समझना अपने को धोखा देना है। बाल श्रमिको का प्रत्येक प्रकार से शोषण किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

01. कुरूक्षेत्र : मई 2004, पृ0 सं0– 5

02. शर्मा, ओ0 पी0 और शर्मा डी0 के0 : उजाले की तलाश में भटकता बाल–श्रम" प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2005, पृ0 सं0– 508

03. योजना : नवम्बर 2006, पृ0 सं0– 7

04. शर्मा, सुभाष : भारत में बाल मजदूर" 199 प्रकाशन विभाग नई दिल्ली पृ0 सं0– 22–32

05. शर्मा, सुभाष : वही, पृ0 सं0– 22–32

06. त्रिपाठी, जे0 एन0 : "श्रम सामाजिक कल्याण और सुरक्षा" 1959 पृ0 सं0– 19

07. सक्सैना, एस0 पी0 : "श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा" 1983–84 रस्तौगी प्रकाशन, मेरठ पृ0 सं0– 8

08. सक्सैना, एस0 पी0 : वही पृ0 सं0– 8
09. सिन्हा, बी0 सी0 : श्रम अर्थशास्त्र, पृ0 सं0– 5
10. सक्सैना, एस0 पी0 : वही पृ0 सं0– 5
11. फॉक्स, होमर : श्रम जांच समिति : मुख्य रिपोर्ट 1946, पृ0 सं0– 6
12. संयुक्त राष्ट्र महासभा : "बाल अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय" संकल्प संख्या 44/5, पृ0 सं0–1
13. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, 300 बी0सी पृ0 सं0– 177
14. कुल श्रेष्ठ, जे0 पी0 : भारत में बाल श्रम, 1978 पृ0 सं0–14
15. गुप्ता, पी0 एस0 : "बाल श्रम एक सामाजिक समस्या के रूप में" पृ0 सं0–11
16. सिंह, मुसाफिर : "वर्किंग चिल्ड्रन इन ग्रेटर बाम्बे" पृ0 सं0– 141
17. जुने, एडम : "चाइल्ड लेबर इन परपरिज्म" 1903 पृ0 सं0– 1171
18. योजना : जून 2007, पृ0 सं0– 44–45
19. आहूजा, राम : सामाजिक समस्याए, 2000 रावत पब्लिकेशन्स जयपुर पृ0 सं0– 230
20. चन्द्र, सुरेश : "बाल–श्रम के सामाजिक–आर्थिक आयामों का अध्ययन, पृ0 सं0– 28
21. गुप्ता, एम0 एल0 और शर्मा डी0 डी0 : समाजशास्त्र 1999 पृ0 सं0– 382